



**राजस्थान राजपत्र
विशेषांक**

**RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary**

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 15, सोमवार, श॥के 1947- मई 05, 2025
Vaisakha 15, Monday, Saka 1947- May 05, 2025

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

कार्यालय आदेश

जयपुर, अप्रैल 24, 2025

संख्या :-एफ-7(76)रालसा/संस्था/अध्यक्ष पी.एल.ए.नियुक्ति/ 2024/ 231:- माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अभिशंषा पर, राजस्थान सरकार, विधि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर की आज्ञा संख्या पं.8(7)विधि-2/विरस(39)/2002 पार्ट II/63 दिनांक 23.04.2025 द्वारा अनुमोदन उपरान्त, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निम्न जिला न्यायक्षेत्र मुख्यालयों पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में सेवानिवृत्त या निवर्तमान न्यायिक अधिकारीगण की पूर्णकालिक अध्यक्ष पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (यथा संशोधित) एवं स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 (यथा संशोधित) एवं इस प्राधिकरण के द्वारा प्रसारित दिशा-निर्देशों के अधीन वर्तमान में कार्यरत जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त प्रभार को समाप्त करते हुए पूर्णकालिक अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत के पद पर एतद्वारा नियुक्ति निम्न प्रकार की जाती है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (वरीयता के अनुसार) (सर्व श्री/श्रीमती)	स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष पद हेतु पदस्थापन स्थान	स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार
1.	श्री संतोष कुमार मित्तल	बालोतरा	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
2.	श्री रविन्द्र कुमार	श्रीगंगानगर	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
3.	श्री राजेश चन्द्र गुप्ता	मेडता सिटी	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र
4.	श्री सुरेन्द्र सिंह	दौसा	संपूर्ण जिला न्यायक्षेत्र

01. क्रम सं. 1 से 4 पर अंकित अधिकारीगण को आदेश का राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

6.5.2025

02. उक्त नियुक्तियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी एवं तत्संबंधित नियम स्थाई लोक अदालत (अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के अन्य निबंधन एवं शर्तों) नियम, 2003 एवं प्राधिकरण/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अधीन होगी।
03. उक्त स्थानों पर उपलब्ध ए.डी.आर. भवन/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में स्थाई लोक अदालत का संचालन होगा।
04. क्रम सं. 1 से 4 पर अंकित अधिकारी की नियुक्ति प्रारम्भिक तौर पर कार्यग्रहण की दिनांक से एक वर्ष के लिए प्रभावी होगी।

आज्ञा से,

हरि ओम अत्री

सदस्य सचिव,

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।



राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: rslsajp@gmail.com , rj-slsa@nic.in

website: www.rlsa.gov.in

क्रमांक - 2033-051

दिनांक - 06/05/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जोधपुर/जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जर्ज इन्वार्ज मीडियेशन, राज0 उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्रीगंगानगर, मेडता, बालोतरा एवं दौसा।
9. अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत, श्रीगंगानगर, मेडता, बालोतरा एवं दौसा।
10. निदेशक/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव (मीडियेशन एवं आर्बीट्रेशन), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक समिति, जयपुर/जोधपुर।
12. संयुक्त सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
13. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, श्रीगंगानगर, मेडता, बालोतरा एवं दौसा।
14. संबंधित अधिकारी।
15. उप सचिव-प्रथम/उप सचिव-द्वितीय/उप सचिव (एपी एण्ड एडीआर), राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
16. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, रालसा, जयपुर।
17. वरिष्ठ उप सचिव/लेखाधिकारी/प्रोग्रामर, कार्यालय हाजा।
18. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
19. आदेश/संबंधित/रक्षित पत्रावली।

[Signature]

निदेशक 6.5.2025

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
जयपुर